

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230

E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./.....**१४**
प्रति,

कवर्धा, दिनांक :- **11** / 01 / 2024

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.579 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन बाबत। (पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/43124/2019 रकबा 3.579 हे.)

- संदर्भ:-**
1. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्र./एफ 5-54/2023/10-2 दिनांक 19.12.2023 ।
 2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-831/78 दिनांक 09.01.2024 ।
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक.अधि./81 दिनांक 09.01.2024 ।

—☆☆—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति में छत्तीसगढ़ शासन से जारी की गई अधिरोपित शर्त अनुसार बिन्दु क्र. 01 से 30 तक बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक-पृथक मय वचन पत्रों सहित 05 प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संदर्भित पत्र क्र. 03 में NPV की राशि में आवश्यक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार राशि शीघ्र कैम्पा खाते में RTGS के माध्यम से आनलाईन पोर्टल में जमा कराया जाकर चालान जनरेट कराकर रसीद पावती इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया जा सके। राशि जमा करने के पूर्व वरिष्ठ कार्यालय से मार्ग दर्शन अनिवार्य रूप से लिया जावे।

क्र.	विवरण	प्रभावित रकबा (हे.में)	दर	कुल राशि
01	प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि, (भारत सरकार का पत्र क्र. File no. 5-3/2011-FC(Vol-1) date -06-01-2022 के अनुसार अभ्यारण्य क्षेत्र के लिये 05 गुणा प्रत्याशा मूल्य की राशि निर्धारित हैं)	3.579	@1228590x5 =6142950.00	21985618.00
02	क्षतिपूर्ति (CA) राशि		@9,66,666	3459698.00
Total -				25445316.00

अतः इस प्रकार कुल राशि 2,54,45,316/- अक्षरी (दो करोड़ चौवन लाख पैतालीस हजार तीन सौ सोलह रुपये मात्र) शीघ्र जमा करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा

//02//

पृ.क्र./तक.अधि./.....९९

कवर्धा,दिनांक :-11/1/2024

प्रतिलिपि :-

- ✓ E.B. 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-831/78 दिनांक 09.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- ✓ E.B. 2. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रसंचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व छ0ग0रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- ✓ E.B. 3. मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- ✓ E.B. 4. वनमंडलाधिकारी महासमुद्र वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के तहत आरक्षित वन अधिसूचित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव शीघ्र वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर प्रतिलिपि देवे।
5. अधीक्षक भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कवर्धा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- प्रथम चरण का आदेश
(सरल क्रमांक 4 के लिये)

✓
वनमंडलाधिकारी
✓कवर्धा वनमंडल कवर्धा

✓